



# बिहार विधान सभा

## कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा  
तृतीय सत्र

28 जुलाई, 2021 ई०  
बुधवार, तिथि 06 श्रावण, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

### प्रस्तुति

1. अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

### ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. सर्वश्री ललित कुमार यादव, आलोक कुमार मेहता एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [स्वास्थ्य विभाग] की ओर से वक्तव्य।
3. सर्वश्री विजय कुमार खेमका, अवधेश सिंह एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [कृषि विभाग] की ओर से वक्तव्य।

### सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

4. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना।
5. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

### मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

### विधायी कार्य

### राजकीय विधेयक

### “बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021”

6. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021” को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
7. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद उपर्युक्त विधेयक को पुरस्थापित करेंगे।
8. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021” पर विचार हो।
9. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021” स्वीकृत हो।

**“बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021”**

10. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
11. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
12. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021” पर विचार हो ।
13. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021” स्वीकृत हो ।

**“बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021”**

14. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
15. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
16. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021” पर विचार हो ।
17. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021” स्वीकृत हो ।
18. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।

भूदेव राय  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-08/2021- 2476

/वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जुलाई, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार राज्यपाल के सचिव, बिहार कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20९१९/८/२१  
(राजीव कुमार)

उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-08/2021- 2476

/वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जुलाई, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

20९१९/८/२१  
(राजीव कुमार)

उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-08/2021- 2476

/वि०स०, पटना, दिनांक- 27 जुलाई, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दूसर्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

20९१९/८/२१  
(राजीव कुमार)

उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना ।